संख्या-910/2026/2306/22-2-2025-17(1139)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 07 जुलाई, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह पटेल पुत्र श्री रामलाल पटेल, निवासी जनपद-सतना (म0प्र0) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0 बैठक- 11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह पटेल पुत्र श्री रामलाल पटेल, पौशलहा, थाना-को0 नयागांव, जनपद-सतना (म0प्र0) का निवासी है। दिनांक 22.07.2007 को पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र राय एस०टी०एफ० लखनऊ अपनी टीम के साथ दस्यु उन्मूलन अभियान चला रहे थे, जिसमें दस्यू सरगना ठोकिया गैंग के मईयादीन को मुठभेड़ में मार दिये जाने के उपरान्त वापस आ रहे थे, तभी ठोकिया गैंग के 12 सदस्यों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में 06 एस०टी०एफ० व 01 नागरिक कुल 07 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 59/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/149/12 डी०ए०ए० एक्ट 307/149/12 डी०ए०ए० एक्ट, 147, 148 आई०पी०सी० व 7 सी०एल०ए० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के दण्डादेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.08.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 09 माह 26 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 08 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने, बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (07 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी विन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह पटेल (बन्दी संख्या-233/2024) पुत्र श्री रामलाल पटेल, निवासी जनपद-सतना (म0प्र0) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-910/2026/2306(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।